(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

भूराराम बनाम चूनीराम व अन्य

किस्म मुकदमा:–251–क आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–146/2025 (GCMS No. 2025/367)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। (आदेश नीचे)	

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 3 एस0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 85 प0न0 32/54 (48) में किला नं. 10/05 में 0.095 हैक्टर, 20/6 में 0.204, 21/0.253=0.5525 हैक्टर, इसी चक 3 एस0डी0 के खाता सं0 94 प0न0 32/54 (48) में किला नं. 3/1 में 0.126 हैक्टर, 4 ता 6 की 0.759 हैक्टर=0.8855 हैक्टर कुल 1.5645 हैक्टर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आगवामन हेतु रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थी के दक्षिण की ओर पत्थर नं. 32/54(48) के किला नं0 2/0.253 हैक्टर, 8–9 की 0.506 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी है। स्वीकृत रास्ता पत्थर नं. 32/62 में किला नं. 1–10–11–20–21 में स्वीकृत है। प्रार्थी की भूमि प0न0 32/54 के किला नं 10 में आने के लिए कोई रास्ता नही है। प्रार्थी इस भूमि में आने के लिए अपनी भूमि पत्थर नं. 32/54 के किला नं. 5–4–3/1 के दक्षिण सीमा से 16.5 फुट चौड़ाई से होते हुए किला नं 02 की 16.5 फुट दक्षिणी पासा व किला नं. 09 की 16.5 फुट गुणा 16.5 फुट उत्तरी–पश्चिमी कोना से होता हुआ अपनी भूमि किला नं0 10 में प्रवेश करता है। जो कि मौका पर चालू है। इस मौका पर चालू रास्ता की भूमि किला नं 5,4,3/1 प्रार्थी खुद की है व किला नं0 2–9 की भूमि अप्रार्थी संख्या–01 की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 3 एस0डी0 प0न0 32/54 के किला नं0 5–4–3/1 के दक्षिणी सीमा से 16.5 फुट चौड़ाई से होते हुए किला नं0 2 की 16.5 फुट दक्षिणी पासा व किला नं0 9 की 16.5 फुट गुणा 16.5 फुट (उत्तरी–पश्चिमी कोना) की चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या–01 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि यदि रास्ता दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है एवं रास्ता के बदला में कोई प्रतिफल भी प्राप्त नही करने का निवेदन किया।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक वृत उदयपुर गोदारान प्रस्तावित रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा ना ही कोई विवाद/स्थगन/रहन है। रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की गई है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का चक 3 एस0डी0 द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2025 में पत्थर नं. 32/54 के किला नं. 3 ता 5–10 भूराराम पुत्र श्योकरणराम खातेदार अंकित किया गया है। किन्तु जमाबंदी में किला नं. 3 व 10 में रकबा संपरिवर्तन भी दर्ज रिकार्ड है। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपने नजरी नक्शा में यह स्पष्ट नही किया गया है। किला नं. 3 में आधा रकबा संपरिवर्तित है जिसमें से रास्ता चाहा गया है। रकबा संपरिवर्तन होने के पश्चात् उक्त भूमि में से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट नक्शा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे न्यायालय के समय को हानि हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता में पत्थर नं. 32/54 (48) के किला नं. 3/4 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया हुआ है। इसलिये उक्त किला नं .3/4 कृषि भूमि नही होने से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने निरस्त किया जाना हम [illegible] है [illegible] तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में पटवा[illegible] हल्का [illegible]ंगीता द्वारा अस्पष्ट व भ्रामक नजरी नक्शा प्रस्तुत क[illegible] अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदा[illegible] सूरतगढ़ को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र [illegible] अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़